राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर)

क्रमांकः एफ.18(242)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021–22/6446-493 दिनांक :– 07/03/22

परिपत्र

पी.एम.के.एस.वाई 2.0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 145 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार के भू–संसाधन विभाग, के पत्रांक K-11011/20/2022-WDC 2.0/Rajasthan दिनांक 19.01.2022 द्वारा जारी की गयी है। योजना की गाइडलाइनस् के अनुसार ग्रामीण समुदाय की विश्वसयनीयता एवं संबंध स्थापित करने हेतु प्रत्येक परियोजना की स्वीकृत राशि की 2 प्रतिशत राशि प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत व्यय किये जाने का प्रावधान है। प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के सन्दर्भ में **निदेशालय के पत्र एफ.18(242)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021–22 क्रमांक 5959–6005 दिनांक 01.02.2022 द्वारा** विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।

संभागीय प्रभारियों के साथ दिनांक 22.02.2022 को की गई समीक्षा बैठक में तथ्य उभरकर आया कि कुछ जलग्रहण परियोजनाओं में लाभन्वित कृषकों के गांव/आवासीय क्षेत्र (Hemlet) जलग्रहण परियोजना की सीमा से बाहर है। यह तथ्य भी आया कि ई.पी.ए. अन्तर्गत प्रस्तावित अधिकतम कार्य लाभन्वित कृषकों के गांव/आवासीय क्षेत्र (Hamlet) में करवाये जाते है।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जिन परियोजनाओं में गांव का आवासीय क्षेत्र (Hamlet) जलग्रहण परियोजना की सीमा से बाहर है परंतु गांव का कुछ भू–भाग परियोजना क्षेत्र में है उनमें ई.पी.ए. के कार्य (एन.आर.एम. आधारित गतिविधियों को छोड़कर) आवासीय **क्षेत्र में भी प्रस्तावित किये जा सकते है।**

(आशीष गुप्ता)
निदेशक

क्रमांकः एफ.18(242)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021–22/6446-493 दिनांक :– 07/03/22
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, (अभियांत्रिकी/आईडब्ल्यूएमपी) जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
7. **समस्त परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी. को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ताओं,** सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्त आदेश की प्रति देकर अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
8. संयुक्त निदेशक, एम.आई.ई.एस. मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर पी.एम.के.एस.वाई. 2.0 लिंक अन्तर्गत उक्त आदेश को अपलोड करने का श्रम करावें।

संयुक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी)